स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगंध भवन, पालारिवट्टम.
कोचिन -682 025, केरल

सं विपणन/म.प./गुना/ईओआई/भूखंड/2024/2089 **13.02.2024**

स्पाईसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्यप्रदेश के गुना जिले के मावन ग्राम में एक स्पाइसेस पार्क की स्थापना की है। इस स्पाइसेस पार्क में धनिया और सौंफ़ जैसे बीजीय मसालो के प्रसंस्करण के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाएँ हैं। दो टन प्रति घंडै की क्षमता वाली बीजीय मसालों की पूर्ण कतार की प्रसंस्करण सुविधा के अतिरिक्त भंडारण और पीयुएफ गोदाम आदि हैं। पार्क में मूल बुनियादी ढ़ाँचा सुविधाएँ जैसे परिसर की दीवार, सड़के, जल और बिजली आपूर्ति, 33 किलो वाट बिजली लाइन, वज़न पुल, कैंटीन आदि है।

अब, बोर्ड मध्यप्रदेश के गुना जिले के मसाला पार्क में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों/संबंध खाद्य प्रसंस्करण इकाइयओं की स्थापना के लिए निम्नलिखित भूखंडों को पट्टे के आधार पर आंवटन हेतु संभावित निर्यातकों, पात्रता मापदंडों में उल्लिखित किया है, से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

भूखंड सं.1,4,5,12,13,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42,48,55 (प्रत्येक का माप लगभग एक एकड़)

पात्रता मापदंड:

1) मसाला के निर्यातकों कं रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र(सीआरईएस) रखनेवाला मसाला निर्याक

2) एपीईडीए/टी बोर्ड/का ॅफी बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातक

भूमि 18% जीएसटी के साथ पाँच लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से एकमुश्त विकास शुल्क के भुगतान पर 20 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए पट्टे पर दी जाएगी। विकास शुल्क के अलावा, पट्टा का किराया 1000/- रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष के साथ 18% जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। आवश्यकता पड़ने पर पट्टा किराए में संशोधन किया जा सकता है। अन्य निबंधन व शर्तें पट्टा करार के अनुसार होंगी।

इच्छुक निर्यातक जो पार्क का मुआयना करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित पते पर प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं -

श्री आशिश जायवाल,
सहायक निदेशक, मसाला पार्क,
मावन पी.ओ, गुना जिला,
मध्यप्रदेश, पिन कोड: 473001.
मोबाइल: 09415312330
ईमेल: spicesboardguna@gmail.com

निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 1) में जिसके ऊपर "मसाला पार्क, गुना की भूखंडों के आंवटन हेतु ईओआई" लिखा हो रुचि की अभिवयक्ति (ईओएल) 20.03.2024 को शाम 5.30 बजे तक या उससे पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए, को नीचे दिए गए पता पर भेजा जाए:

श्री बी एन झा,
निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड,
सुगंध भवन, पालारिवट्टम पी.ओ,
कोच्ची - 682025, केरल.

पट्टे का सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. पट्टे की अवधि पट्टा करार के पंजीकरण के दिन से शुरु होकर 20 वर्ष (बीस वर्ष) तक है। यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन पट्टादाता (स्पाइसेस बोर्ड) और पट्टेदार (निर्यातक) के बीच आपसी समझौते पर पट्टे की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

2. पट्टेदार को आंवटित भूखंड के लिए प्रति एकड़ एकमुश्त गैर-वापसीयोग्य विकास शुल्क रु 5.00 लाख (18% अतिरिक्त जीएसटी) का भुगतान करना होगा।

3. पट्टेदार को 18% जीएसटी या संशोोधित दर के साथ प्रति वर्ष 1000/- रुपये प्रति एकड़ (बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन) की दर से पट्टे का किराया अगले वर्ष के अप्रैल में या उससे पहले पंजीकरण वर्ष से लेकर पट्टादाता को भुगतान करना होगा।।

4. पटेटेदार को बोर्ड द्वारा जारि आंवटन पत्र के तारीख से एक महीने के भीतर पट्टा करार पर हस्ताक्षर करना होगा। पट्टा करार का पंजीकरण करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाएगा, ऐसा न होने पर भूखंड का आंवटन रद्द किया जाएगा ओर भुगतान किए गए विकास शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च के लिए काट लिया जाएगा और शेष राशि को वापस पट्टेदार को दिया जाएगा।

5. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण समझौते के पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर शुरू किया जाएगा, ऐसा न होने पर भूखंड आंवटन रद्द किया जाएगा और भुगतान किए गए विकास शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का 10% प्रशासनिक खर्च के लिए काट लिया जाएगा और शेष राशि को वापस पट्टेदार को दिया जाएगा।

6. प्रसंस्करण इकाई का निर्माण का पूर्तीकरण और परीक्षण करार के पंजीकरण की तारीख से 24 महीने के भीतर किया जाएगा, ऐसा न होने पर पट्टा आंवटन रद्द किया जाएगा और विकास शुल्क का 20%

(जीएसटी को छोड़कर) प्रशासनिक खर्च के लिए काट लिया जाएगा और शेष राशि को वापस पट्टेदार को दिया जाएगा।

7. यदि पट्टेदार किसी भी कारण से निर्माण शुरू होने के बाद और इकाई के पूरा होने से पहले भूखंड को अभ्यर्पण करना चाहता है तो विकास शुल्क का 20% (जीएसटी को छोड़कर) प्रशासनिक खर्च के लिए काट लिया जाएगा और शेष राशि को वापस पट्टेदार को दिया जाएगा।

8. यदि करार के पंजीकरण के दो साल के भीतर निर्माण करने और इकाई का परीक्षण करने में देरी होती है, तो इकाई का पूरा होने/ परीक्षण की अवधि तक पट्टेदार को 2000/- रुपये प्रति माह का जुर्माना लगाया जाएगा।

9. बोर्ट को पट्टेदार से बोर्ड और पट्टेदार के बीच करार की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के बाद, सामान्य बुनियादी ढ़ाचे जैसे बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई आदि पर रखरखाव शुल्क का एक हिस्सा एकत्र करने का अधिकार है।

10. सफल ईओआई आवेदकों के लिए पट्टा करार में विस्तृत निबंधन एवं शर्तें शामिल की जाएगी।

यदि भूखंडों के आवंटन के लिए अधिक ईओआई प्राप्त होते है; तो भूखंडों के आवंटन के लिए प्राप्त ईओआई का मूल्यांकन निम्नलिखत मानदंड़ो के अनुसार किया जाएगा।

क) मसालों के पंजीकृत निर्यातक (30 अंक)

ख) एपीईडीए/टी बोर्ड/कॉफी बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातक (20 अंक)

ग) निर्यातक निष्पादन:

पिछले 2 वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात के औसत मूल्य को वेटेज (अधिकतम 25 अंक)* पिछले 2 वर्षों के दौरान एपीईडीए/टी बोर्ड/कॉफी बोर्ड के भीतर खाद्य उत्पादों के निर्यात के औसत मूल्य को वेटेज (अधिकतम 20 अंक)*

घ) एसटी/एससी निर्यातक (15 अंक)

ङ) महिला निर्यातक (10 अंक)

* पिछले दो वर्ष के दौरान एपीईडीए/टी बोर्ड/का ॅफी बोर्ड के भीतर खाद्य उत्पादों/मसालों के निर्यात का औसत मूल्य अधिकतम 25 अंक या 20 अंक क्रमशः निर्धारित किया जाएगा। उच्चतम निर्यात मूल्य वाले आवेदक को अधिकतम अंक प्राप्त होता है, और अन्य सभी आवेदकों का मूल्य की गणना आनुपातिक रूप से उनके निर्यात मूल्य तो उच्चतम मूल्य से विभाजित करके की जाएगी। बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी/ सभी ईओआई आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

ह.

निदेशक (विपणन)